मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

संख्या: डीजी-माप्र-42/2003 दिनॉक: लखनऊ: अप्रैल 13 ,2006

सेवा में,

समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/
पुलिस अधीक्षक, प्रभारी जनपद,
उत्तर प्रदेश।

पुलिस अधीक्षक 'रेलवेज',
उत्तर प्रदेश

विषय :गिरफ्तारी के सम्बन्ध में रिट याचिका संख्या-539/86 डी0के0 बसु बनाम राज्य सरकार पश्चिम बंगाल में दिनांक 18.12.96 को मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गये दिशा-निर्देशों के अनुरूप कार्यवाही सुनिश्चित किया जाना।

प्रश्नगत प्रकरण के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि श्री एस0एल0 आदर्श, मा0 अध्यक्ष, मानीटरिंग कमेटी, उ0प्र0 मानवाधिकार आयोग द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रपत्र संख्या-1(गिरफ्तारी मैमो) एवं प्रपत्र संख्या-2(गिरफ्तारी/अभिरक्षा का रजिस्टर) के अनुरूप अभिलेख आदि का रख-रखाव किये जाने के सम्बन्ध में इस मुख्यालय के परिपत्र संख्या-डीजी-माप्र-2/97, दिनांकित 19.04.04 द्वारा कतिपय निर्देश निर्गत किये गये थे। कदाचित इस निर्देश का समुचित अनुपालन न किये जाने के कारण मा0 समिति द्वारा अपने पत्र संख्या-223(बी)/एचआरसी/2006, दिनांकित 27.03.2006 के माध्यम से विगत के अनुभवों के आधार पर कतिपय निम्न कमियों की ओर पुन: ध्यानाकर्षण किया गया है:-

1. **निर्देश संख्या-2** के अनुसार किसी पुलिस अधिकारी द्वारा किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी करने पर गिरफ्तारी के समय गिरफ्तारी का मैमो तैयार किया जाना चाहिए और ऐसा मैमो कम से कम एक साक्षी द्वारा जो गिरफ्तार किये गये व्यक्ति के परिवार का सदस्य हो सकता है या जहॉ गिरफ्तारी की गयी है उस इलाके का सम्भ्रांत व्यक्ति हो सकता है, द्वारा सत्यापित होना चाहिए। इस मैमो को गिरफ्तार किये गये व्यक्ति द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जाएगा। जिस पर गिरफ्तारी का समय और दिनांक अंकित होगा। मा0 समिति का अनुभव है कि इस निर्देश का अधिकांश मामलों में कड़ाई से पालन नही किया जा रहा है। गिरफ्तारी करने वाले पुलिस कर्मी गिरफ्तार किये गये व्यक्ति के परिवार आदि के सदस्य या जहां गिरफ्तारी हुई है उस इलाके के सम्भ्रांत व्यक्ति से मैमो को सत्यापित कराने का प्रयास नही कर रहे हैं और अधिकांश मामलों में गिरफ्तार करने वाले पुलिस कर्मी ही मैमो पर साक्षी के रूप में हस्ताक्षर कर रहे हैं, जो मान्य नही है। ज्यादातर मामलों में मैमो पर अपराध संख्या अंकित किया जा रहा है, जो मान्य नही है क्योंकि मैमो को गिरफ्तारी के स्थान पर तैयार किया जाना होता है जबकि अपराध को गिरफ्तारी के बाद थाने पहुंचने पर अपराध संख्या पर लाया जाता है। यह स्थिति गिरफ्तारी के स्थान पर मैमो को तैयार किये जाने को संदिग्ध बनाती है। यह अपेक्षा की जाती है उसी स्थिति में गिरफ्तारी के मैमो पर अपराध संख्या अंकित किया जाय, जब गिरफ्तारी पहले से ही पंजीकृत अभियोग में की जा रही है।

शेष पृष्ठ-2 पर....

2. **निर्देश संख्या–3** गिरफ्तार किये गये व्यक्ति के मित्र या सम्बन्धी या निरूद्ध की सूचना देने सम्बन्धी है। अनेक मामलों मे यह पाया गया है कि गिरफ्तार करने वाले पुलिस कर्मी गिरफ्तारी के स्थान पर ही सूचना देने की बात कहते हैं यह उचित नही है। यदि गिरफ्तारी के समय ही सूचना दी जाती है तो गिरफ्तारी करने वाले पुलिस कर्मी गिरफ्तार किये गये व्यक्ति के सम्बन्धी या मित्र को मौके पर ही बुलाकर गिरफ्तारी मैमो पर हस्ताक्षर कर सकते हैं। मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा Criminal MP 6266/02 व अन्य में परित आदेश दिनांकित 19.07.02 के परिप्रेक्ष्य में यह कार्यवाही न्यायोचित नही कही जा सकती। इस प्रकरण में मा0 न्यायालय द्वारा निम्न आदेश पारित किया गया है–''गिरफ्तार किये गये व्यक्ति के मामले में थाने के अभिलेखों से यह स्पष्ट होना चाहिए कि गिरफ्तार व्यक्ति के सम्बन्ध में गिरफ्तारी की सूचना किसे और किस प्रकार दी गयी थी जिससे आवश्यकता पड़ने पर सत्यापन Crass check किया जा सके''। इसका अनुपालन तभी सम्भव है जब गिरफ्तारी की सूचना किये गये व्यक्ति के परिवार के सदस्य अथवा मित्र को थाने से दी जाती है, यदि ऐसा व्यक्ति गिरफ्तारी मैमो पर साक्षी के रूप में हस्ताक्षर न किये हो।

3. **निर्देश संख्या–5** के अनुसार गिरफ्तार किये गये व्यक्ति, जैसे ही व गिरफ्तार या निरूद्ध किया जाता है, को उसके अधिकार से अवगत कराया जाना चाहिए कि वह अपनी गिरफ्तारी या निरूद्धि की सूचना किसी को भिजवा सकता है। इस निर्देश का व्यावहारिक रूप से किसी थाने पर अनुपालन नहीं किया जा रहा है। मा0 समिति द्वारा निर्धारित प्रारूप (प्रपत्र–1) में इस विषय का एक पैरा जोड़ा गया है किन्तु पूरे राज्य के थानों से प्राप्त हो रहे गिरफ्तारी मैमो में यह पैरा प्रदर्शित नही हो रहा है। यह अपेक्षा की जाती है कि उसके इस अधिकार के सम्बन्ध में सूचित किये जाने के तथ्य का गिरफ्तारी मैमो में अंकन अवश्य किया जाए।

4. **निर्देश संख्या–5** के अनुसार जिस स्थान पर गिरफ्तार किया गया व्यक्ति निरूद्ध किया गया है थाने की सामान्य दैनिकी में इस आशय का अंकन किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त गिरफ्तार किये गये व्यक्ति के सम्बन्धी का नाम अंकित किया जाना चाहिए जिसे गिरफ्तारी के सम्बन्ध में सूचित किया गया है। इसके अतिरिक्त इसमें पुलिस कर्मियों के नाम व विवरण भी अंकित किये जायें जिनकी अभिरक्षा में गिरफ्तार किया गया व्यक्ति निरूद्ध रखा गया है। मा0 समिति ने सामान्य दैनिकियों की चैकिंग के मध्य यह पाया कि उन पुलिस कर्मियों के नाम व विवरण अंकित नही किये जा रहे हे और सामान्यत: लिख दिया जाता है कि ''सन्तरी पहरा की अभिरक्षा में रखा गया''। यह इस निर्देश का पर्याप्त अनुपालन नहीं है। जिस पुलिस कर्मी की अभिरक्षा में गिरफ्तार किया गया व्यक्ति रखा गया है उसके नाम और पद का स्पष्ट उल्लेख किया जाना चाहिए जिससे यदि गिरफ्तार किया गया व्यक्ति हवालात से भाग जाता है तो उसकी जिम्मेदारी तय करने में कठिनाई न हो।

शेष पृष्ठ–3 पर....

2- कृपया उपरोक्त निर्देशों से अपने समस्त अधीनस्थों को भली भांति अवगत कराते हुए उनका कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें।

ह0/दि013.04.06

(बुआ सिंह)

पुलिस महानिदेशक,

उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु प्रेषित:-

1- पुलिस महानिदेशक, अपराध शाखा, अपराध अनुसंधान विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

2- अपर पुलिस महानिदेशक, रेलवे, उ0प्र0, लखनऊ।

3— समस्त पुलिस महानिरीक्षक, जोन, उत्तर प्रदेश।

4— समस्त पुलिस उपमहानिरिक्षक, परिक्षेत्र, उत्तर प्रदेश।

अ0शा0पत्र संख्या-सात-107(71)96

एम0सी0 द्विवेदी,

पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश।
1-तिलक मार्ग, लखनऊ
दिनाँक: लखनऊ: फरवरी 20, 2001

प्रिय महोदय,

कृपया माननीय राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नई दिल्ली के पत्र संख्या-एन0एच0आर0सी0 /आई0डी0 /पीएम/06/57, दिनांक 27.03.097 की संलग्न छायाप्रति का अवलोकन करें जिसके द्वारा अपेक्षा की गयी है कि पुलिस अभिरक्षा मृत्यु के प्रकरणों में शवों के पोस्टमार्टम परीक्षण की वीडियोग्राफी कराई जाये तथा पोस्टमार्टम रिपोर्ट के साथ वीडियाग्राफी की कैसेट मा0 राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नई दिल्ली को शीघ्र उपलब्ध करायी जाया करे।

2- इस सम्बन्ध में उ0प्र0 शासन, लखनऊ के पत्र संख्या-442/6-माप्र/97, दिनांक 07.07.1999 द्वारा उपरोक्त का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित कराने हेतु आदेशित किया गया है। फलस्वरूप आदेशित किया जाता है कि भविष्य में जब भी पुलिस अभिरक्षा में हुई मृत्यु से सम्बन्धित पोस्टमार्टम कराया जाये, वीडियोग्राफी का प्रावधान स्थानीय स्तर पर सुनिश्चित किया जाये।

3- अत: अनुरोध है कि प्रकरण में मा0 आयोग द्वारा दिये गये दिशा-निर्देशों का तदनुसार अनुपालन तात्कालिक प्रभाव से सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

भवदीय,
ह0/20.02.01
(एम0सी0 द्विवेदी)

1-समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/
पुलिस अधीक्षक, उ0प्र0।

2-समस्त पुलिस अधीक्षक, रेलवेज,
उत्तर प्रदेश।

3-समस्त जोनल पुलिस महानिरीक्षक,
उत्तर प्रदेश।

4-समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस उप महानिरीक्षक,
उत्तर प्रदेश।

शेष पेज-2 पर.....

संख्या तथा दिनांक वही:

प्रिय महोदय,

उपरोक्त की प्रतिलिपि संलग्नक सहित आपको इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि वे कृपया प्रकरण में वांछित कार्यवाही अपने स्तर से सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(एम0सी0 द्विवेदी)

1-प्रमुख सचिव, गृह,
उ0प्र0 शासन,
लखनऊ।

2-प्रमुख सचिव,
स्वास्थ्य सेवाएं
उ0प्र0 शासन, लखनऊ।

3-निदेशक,
स्वास्थ्य सेवाएं,
उ0प्र0, लखनऊ।
संलग्नक: यथोक्त।

प्रतिलिपि: समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, पुलिस विभाग, उ0प्र0 को भी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि: महासचिव, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, सरदार पटेल भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली को आयोग के पत्रांक-4/3/97-पीआरपी एण्ड पी, दिनांक 14.09.2000 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।

अ0शा0पत्र संख्या-डीजी-माप्र-बहराइच-259/02

बुआ सिंह,
आई0पी0एस0

पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश।
1-तिलक मार्ग, लखनऊ।
दिनाँक: लखनऊ: जून 19 ,2006

प्रिय महोदय,

मेरे समक्ष एक ऐसा दृष्टांत आया है कि जिसकी ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। प्रकरण निम्नवत है:-

2- राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नई दिल्ली को आवेदक श्री अवतार पुत्र श्री जगन्नाथ, निवासी- बसेवन बेली, थाना-लेटीखाट, जनपद-बहराइच द्वारा शिकायत की गयी थी कि उसके लड़के की विपक्षियों द्वारा हत्या कर दिये जाने की सूचना स्थानीय थाने पर दिये जाने के पश्चात भी सम्बन्धित थाने द्वारा उसकी एफ.आई.आर. दर्ज नही की गयी।

3- उक्त प्रकरण में राष्ट्रीय मनवाधिकार आयोग, नई दिल्ली के केस संख्या-12211/24/ 97-98-एफसी के संदर्भ में पुलिस अधीक्षक, बहराइच द्वारा क्षेत्राधिकारी से जांच कराकर आख्या मा0 आयोग को प्रस्तुत की गयी, जिसमें जांच अधिकारी द्वारा आवेदक अथवा किसी स्वतंत्र साक्षी का बयान लिये बिना यह निष्कर्ष प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक के पुत्र की मौत स्वाभाविक रूप से हुई है।

4- मा0 आयोग की टीम द्वारा उक्त प्रकरण की जांच की गयी जिससे पाया गया कि आवेदक के पुत्र की मृत्यु चोट लगने के कारण हुई है परन्तु स्थानीय पुलिस द्वारा इस घटना के सम्बन्ध में कोई ठोस कार्यवाही नही की गयी न ही तथ्यों को गम्भीरता से लिया गया और प्रथम सूचना रिपोर्ट तक दर्ज नही की गयी। अत: मा0 आयोग द्वारा सम्पूर्ण प्रकरण की जांच सीबी, सीआईडी से कराये जाने की संस्तुति की गई।

5- आयोग की उक्त संस्तुति के परिप्रेक्ष्य में शासन के निर्देशानुसार सीबी, सीआईडी द्वारा सम्पादित जांच आख्या से पाया गया कि आवेदक के पुत्र को उसके विपक्षीगण द्वारा मारा-पीटा गया जिससे आयी चोटों के कारण उसकी मृत्यु हुई। उक्त घटना की सूचना आवेदक द्वारा स्थानीय थाने पर दिये जाने के पश्चात भी प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज नही की गयी और न ही आवेदक के पुत्र का पोस्टमार्टम कराया गया बल्कि वादी से तहरीर लेकर कि वह कोई कार्यवाही नही चाहता, आख्या प्रस्तुत कर दी गयी। इस प्रकार स्थानीय पुलिस द्वारा प्रश्नगत मामले में अपने वैधानिक दायित्वों की अनदेखी की गई तथा क्षेत्राधिकारी द्वारा भी अपने दायित्व के निर्वहन में उदासीनता बरती गई।

6- आप सहमत होंगे कि पुलिस द्वारा इस प्रकार के गम्भीर मामलों में भी अपने विधिक दायित्वों का पालन न करना धारा-154 सी.आर.पी.सी., 1973 का खुला उल्लंघन है एवं यह चिन्ता का विषय है।

7- अत: आप यह सुनिश्चित करें कि यदि कोई पीड़ित व्यक्ति थाने पर आता है तो उसकी पूरी बात सुनी जाय एवं विधिक कार्यवाही की जाय। किसी भी दशा में चैप्टर-12, धारा-154 सी.आर.पी.सी., 1973 का उल्लंघन न होने पाये। यदि भविष्य में ऐसी कोई उदासीनता किसी पुलिस पुलिस अधिकारी/कर्मचारी की पाई जायेगी तो कठोरतम कार्यवाही होगी।

शेष पृष्ठ-2 पर.....

8- अत: अपने समस्त अधीनस्थों को गोष्ठी आयोजित कर संवेदित (Sensitize) करें तथा अनुपालन आख्या दिनांक 05.07.2006 तक इस कार्यालय को भेजें कि सभी अधीनस्थों को इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति न होने के बाबत संवेदित (Sensitize) कर दिया गया है।

भवदीय,

ह0/15.06.06

(**बुआ सिंह**)

समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक,
प्रभारी जनपद पुलिस/पुलिस अधीक्षक, रेलवेज,
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु प्रेषित:-

1- अपर पुलिस महानिदेशक, रेलवेज, उ0प्र0, लखनऊ।
2- समस्त पुलिस महानिरीक्षक, जोन, उ0प्र0।
3- समस्त पुलिस उप महानिरीक्षक, परिक्षेत्र, उ0प्र0।

अ0शा0 पत्र संख्या-डीजी-माप्र-36-परिपत्र/2003

वी0के0बी0 नायर,
आई0पी0एस0

पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश।
1-तिलक मार्ग, लखनऊ
दिनॉक: लखनऊ: सितम्बर ,2003

प्रिय महोदय,

मेरे संज्ञान में लाया गया है कि मानवाधिकार हनन के प्रकरणों में दोषी पुलिस कर्मियों के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही करने में जिस प्रकार की निष्ठा की आवश्यकता है वह दिखायी नही जा रही है और दोषी पुलिस कर्मियों को अत्यल्प दण्ड देकर छोड़ दिया जाता रहा है। यह उचित नही है। बहुत से प्रकरणों में यह पाया गया है कि दोषी पुलिस कर्मियों को व्यक्तिगत पत्रावली पर चेतावनी दी गयी है। उल्लेखनीय है कि अराजपत्रित पुलिसकर्मियों के लिये यह कोई दण्ड नही है और न ही व्यक्तिगत पत्रावली उनकी चरित्र पंजिका का अंग होती है। इसके अतिरिक्त यह भी पाया गया है कि जांच अधिकारियों द्वारा अपनी जॉच आख्या में परिनिन्दा की संस्तुति की जाती है, जिसे वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा ऑख मूॅदकर बिना गुण दोष का विचारण किये स्वीकार कर लिया जाता है। यह भी उचित नही है। दण्ड देने के लिये प्राधिकृत और सक्षम अधिकारियों द्वारा स्वविवेक से दोष के अनुरूप दण्ड दिया जाना चाहिए।

2- मानवाधिकारों की रक्षा करना हम सभी का गुरूतर दायित्व है और मानवाधिकार हनन के दोषी पाये गये पुलिस कर्मियों के विरूद्ध तत्परतापूर्वक और यथेष्ठ कार्यवाही करना अत्यन्त आवश्यक है, ताकि जन सामान्य में पुलिस के प्रति विश्वास पैदा हो सके। अत: आपको निर्देश दिया जाता है कि मानवाधिकार हनन के दोषी पुलिस कर्मियों के विरूद्ध नरमी न बरतें और प्रत्येक प्रकरण में स्वविवेक से निर्णय लेते हुए उन्हे उनके दोष के अनुरूप दण्ड दें। कृपया अपने अधीनस्थ सभी अधिकारियों को भी इन निर्देशों से अवगत करा दें और उन्हे स्पष्ट कर दें कि मानवाधिकार हनन के प्रकरण में दोषी पाये गये पुलिस कर्मियों के विरूद्ध की जा रही विभागीय कार्यवाही में नरमी बरतने एवं त्रुटि के अनुरूप दण्डित न करने पर उनके विरूद्ध भी कार्यवाही की जायेगी।

भवदीय,

ह0/25.09.03
(**वी0के0बी0 नायर**)

समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक,
प्रभारी जनपद, उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1- समस्त पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।
2- समस्त अपर पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।
3- समस्त पुलिस महानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश।

अ0शा0 पत्र संख्या-डीजी-माप्र-लखनऊ-232/2001

महेश चन्द्र द्विवेदी,

पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश।
1-तिलक मार्ग, लखनऊ
दिनाँक: लखनऊ: जून 12 ,2001

प्रिय महोदय,

मानवाधिकार हनन से सम्बन्धित शिकायतों की जांच माननीय राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नई दिल्ली द्वारा सौंपी जाती हैं। प्राय: इन जांचों को जनपद स्तर पर सम्पादित किया जाता है तथा जांचोपरान्त जांच आख्याएं समुचित कार्यवाहियों के विवरण सहित माननीय आयोग को प्रेषित की जाती है।

2- जनपद स्तर पर की गयी कतिपय जांचों की जांच आख्या के परिशीलन के उपरान्त माननीय आयोग के संज्ञान में आया है कि पुलिस अधिकारियों द्वारा प्रेषित की गयी जांच आख्याएं एवं उनमें वार्णित तथ्य सत्य नही हैं क्योंकि माननीय आयोग ने इन्ही शिकायतों की जांच जब अपने जांच दल से करायी तो पुलिस अधिकारियों द्वारा सम्पादित की गयी जांच आख्याएं त्रुटिपूर्ण अथवा असत्य पायी गयीं, जिसके लिये माननीय राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा गहरी आपत्ति उठायी गयी है तथा इस ओर विशेष ध्यान दिये जाने की आवश्यकता पर बल दिया गया है।

3- उपर्युक्त के साथ-साथ माननीय आयोग द्वारा इस बात पर भी आपत्ति उठायी गयी है कि पुलिस अधिकारियों द्वारा सम्पादित की गयी जांचों में दोषी पाये गये अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध प्रस्तावित विभागीय कार्यवाहियों/दण्डात्मक कार्यवाहियों को पूरा करने में विलम्ब किया जाता है।

4- अत: आपसे अनुरोध है कि माननीय राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा सौंपी गयी जांचों की सत्यता, पारदर्शिता पर विशेष ध्यान देते हुए यह सुनिश्चित करने का कष्ट करें कि मानवाधिकार हनन से सम्बन्धित जांच आख्याएं तथ्यों पर आधारित, निष्पक्ष एवं न्यायसंगत हों तथा इसमें कोई कमी न रहे।

भवदीय,

ह0/13.06.01

(महेश चन्द्र द्विवेदी)

समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/
पुलिस अधीक्षक, प्रभारी जनपद, उ0प्र0।

प्रतिलिपि: समस्त पुलिस महानिरीक्षक, जोन, उ0प्र0 को अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि: समस्त पुलिस उपमहानिरीक्षक, परिक्षेत्र, उ0प्र0 को अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु प्रेषित।

अ0शा0 पत्र संख्या-डीजी-माप्र-(29)/2000

श्रीराम अरूण,

पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश।
1-तिलक मार्ग, लखनऊ
दिनाँक: लखनऊ: जुलाई 28, 2000

महोदय/महोदया,

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने अवगत कराया है कि कतिपय मामलों में निर्दोष व्यक्तियों के विरूद्ध विपक्षियों द्वारा कार्यवाही कराने के उद्देश्य से गलत तथ्यों के आधार पर मुकदमें दर्ज करा दिये जाते हैं और कभी-कभी पुलिस भी ऐसे मामलों में सहयोग प्रदान करती है। ऐसे प्रकरणों से जहां पुलिस की छवि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है वहीं ऐसी कार्यवाहियों से जनता का पुलिस पर विश्वास भी घटने लगा है।

2- अनुरोध है कि कृपया अपने थानाध्यक्षों व अन्य अधिकारियों को निर्देश देने का कष्ट करें कि वे अपनी ओर से कोई गलत तथ्यों पर आधारित मुकदमें दर्ज न करें और यदि जनता का कोई व्यक्ति मुकदमा दर्ज कराने आता है तो उसे मुकदमें को नियमानुसार पंजीकृत करें और सही विवेचना के उपरान्त ही सम्बन्धित व्यक्ति के विरूद्ध कोई कार्यवाही करें। इसके पीछे उद्देश्य यह है कि किसी भी निर्दोष व्यक्ति को झूंठे मामलों में न फंसाया जाय और न ही उसकी छवि पर कोई प्रतिकूल प्रभाव आने दिया जाय।

ससदभाव्

भवदीय,

ह0/28.07.2000
(**श्रीराम अरूण**)

समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/
पुलिस अधीक्षक, प्रभारी जनपद,
पुलिस अधीक्षक, रेलवेज, उ0प्र0।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित कि कृपया माननीय आयोग के निर्देशों के अनुपालन अपने स्तर से भी सुनिश्चित करायें:-

1- समस्त पुलिस महानिरीक्षक, जोन, एवं रेलवेज, उ0प्र0।
2- समस्त पुलिस उपमहानिरीक्षक, परिक्षेत्र एवं रेलवेज, उ0प्र0।

अ0शा0 पत्र संख्या–डीजी–माप्र–(10)/2000

श्रीराम अरूण,

पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश।
1–तिलक मार्ग, लखनऊ।

दिनाँक: लखनऊ: फरवरी 29, 2000

प्रिय महोदय/महोदया,

मैं आपका ध्यान मानवाधिकार हनन से सम्बन्धित उन शिकायतों की ओर विशिष्ट रूप से आकृष्ट करना चाहूँगा जो शासन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नई दिल्ली अथवा अन्य राष्ट्रीय/प्रदेशीय स्तर के आयोगों के माध्यम से इस मुख्यालय सहित आपको जांच हेतु प्राप्त हो रही हैं तथा जिसमें समयबद्ध आख्या उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की जाती है।

2– प्राय: यह देखा जा रहा है कि ऐसे प्रकरणों में समयबद्ध आख्या उपलब्ध कराये जाने में अति विलम्ब किया जाता है, जिसके फलस्वरूप पुलिस विभाग के विरूद्ध प्रतिकूल टिप्पणी एवं सम्बन्धित अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने हेतु सम्मन भी जारी किये गये हैं। इसके अतिरिक्त मानवाधिकार हनन के क्रम में अवैधानिक अभिरक्षा, दुर्व्यवहार एवं प्रताड़ना आदि जैसे गम्भीर आरोपों में जहां विभागीय जांचोपरान्त आरोपों की पुष्टि नहीं हुई वहीं माननीय आयोग एवं अन्य एजेन्सियों द्वारा आरोपों को प्रमाणित पाया गया। यह भी देखने में आख्या है कि विभिन्न प्रकरणों में दोषी पाये गये अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही किये जाने में भी सम्बन्धित स्तर पर अनावश्यक विलम्ब एवं आनाकानी की जाती है। यह स्थिति आपत्तिजनक है, जिस पर हर स्तर पर मनन कर निराकरण किया जाना आवश्यक है।

3– लखनऊ में नियुक्त पुलिस अधीक्षक व उनसे वरिष्ठ अधिकारियों की बैठकें विगत माह हुई जिनमें पुलिस द्वारा मानवाधिकार के हनन किये जाने के मामलों में गम्भीर चिन्ता व्यक्त की गयी और कतिपय सुझाव दिये गये, जिनमें से निम्नलिखित सुझाव आपके संज्ञान में सूचनार्थ व अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु लाये जा रही है:–

(1) मानवाधिकारों से सम्बन्धित प्रत्येक जनपद में जनपद के वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक के सामान्य निर्देशन में एक नोडल अधिकारी नामित किया जायेगा। जिन जनपदों में अपर पुलिस अधीक्षक नियुक्त है वहां अपर पुलिस अधीक्षक को नामित किया जायेगा और जिन जनपदों में अपर पुलिस अधीक्षक नियुक्त नही हैं वहां एक पुलिस उपाधीक्षक को नामित किया जायेगा, जो मानवाधिकारों के सम्बन्ध में जनपद का नोडल अधिकारी होगा। ऐसे अधिकारी का चयन करते समय इस बात का ध्यान रखा जाय कि सम्बन्धित अधिकारी की स्वयं की ख्याति मानवाधिकारों के हनन की न रही हो तथा उसके विरूद्ध कोई जांच आदि लम्बित न हो। इस नोड़ल अधिकारी के निम्नलिखित कार्य होगे:–

(अ) जनपद के मानवाधिकारों से सम्बन्धित सभी मामलों के अभिलेखों का रख–रखाव तथा प्रत्येक मामले में समुचित कार्यवाही सुनिश्चित करना।

शेष पृष्ठ–2 पर.....

(ब) मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा डी.के. बसु बनाम पश्चिम बंगाल सरकार में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराना तथा प्रत्येक थाने में इस सम्बन्ध में लगाये गये बोर्डो का लगा होना सुनिश्चित कराना एवं बोर्डो में लिखे गये आदेशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित कराना।

(स) मानवाधिकार विषय पर सम्मेलन/कार्यशालाओं आदि के आयोजनों को सुनिश्चित कराना तथा पुलिस कर्मियों को समुचित रूप से प्रशिक्षण दिलाना।

(द) जनपद-के किसी भी क्षेत्र में मानवाधिकारों के हनन की गम्भीर शिकायतों के घटनास्थलों का निरीक्षण करना, नियमानसुार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराना तथा दोषी पाये जाने वाले पुलिस कर्मियों आदि के विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराना।

(य) मानवाधिकारों के सम्बन्ध में प्राप्त सन्दर्भो की समय से जांच कराकर वरिष्ठ अधिकारियों को जांच रिपोर्ट भिजवाना।

अनुरोध है कि आप कृपया तदनुसार कार्यवाही कर अपने जनपद के नोडल अधिकारी का नाम व पद अपने परिक्षेत्रीय पुलिस उपमहानिरीक्षक, जोनल पुलिस महानिरीक्षक, अपर महानिदेशक (मानवाधिकार), उ0प्र0, मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 को भेजने का कष्ट करें।

(2) वरिष्ठ अधिकारियों के सम्मेलन में यह भी कहा गया था कि वादी की प्रथम सूचना रिपोर्ट का न लिखा जाना मानवाधिकारों के हनन की पहली कड़ी होती है। अत: किसी भी प्रथम सूचना रिपोर्ट को बिना हीला-हवाली के थानों पर लिखा जाना चाहिए।

अनुरोध है कि आप कृपया धारा-154 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट थानों पर लिखाया जाना सुनिश्चित करें तथा जहां कहीं भी थानों पर प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखे जाने में हीला-हवाली हो, वहां कृपया धारा-154(3) दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत अधिकारों का प्रयोग कर अपने स्तर से प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत कराकर मुकदमों में आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराते रहें। जहां कहीं भी प्रथम सूचना रिपोर्ट न लिखे जाने की शिकायत प्राप्त हो वहां आप गम्भीर रूख अपना कर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करायें। यह स्पष्ट किया जाता है कि अपराध ऑकड़ों की संख्या बढ़ने के कारण किसी भी पुलिस अधिकारी की कार्यक्षमता का प्रतिकूल रूप आंकलन नही किया जायेगा।

(3) वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के सम्मेलन में यह भी राय थी कि पुलिसजनों को मानवाधिकार हनन न करने के बारे में समुचित रूप से अवगत कराते हुए उन्हे चेतावनी दे दी जाय कि यदि किसी मामले में पुलिसजन दोषी पाये जायेगें तथा यदि किसी न्यायालय या अन्य संस्था द्वारा पीड़ित व्यक्ति को मुआवजा दिलाने के आदेश प्राप्त होते हैं तो वह धनराशि सम्बन्धित पुलिसकर्मी/कर्मियों से वसूली जा सकती है।

शेष पृष्ठ-3 पर....

अनुरोध है कि आप कृपया सभी पुलिस कर्मियों को तदनुसार अवगत करा दें कि वे मानवाधिकारों का हनन न करें और अपना कार्य व आचरण संयमित व मर्यादित रखें।

ससदभाव्

भवदीय,

ह0/26.02.2000

(**श्रीराम अरूण**)

समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/
पुलिस अधीक्षक, प्रभारी जनपद, उ0प्र0।

समस्त पुलिस अधीक्षक,
रेलवेज, उ0प्र0।

महोदय,

उपरोक्त पत्र की प्रतिलिपि आपके सूचनार्थ एवं अपेक्षित कार्यवाही सुनिश्चित कराने हेतु प्रेषित है।

ससदभाव्

भवदीय,

ह0/26.02.2000

(**श्रीराम अरूण**)

समस्त पुलिस उपमहानिरीक्षक,
परिक्षेत्र/रेलवे, उ0प्र0।
समस्त पुलिस महानिरीक्षक,
जोन/रेलवे, उ0प्र0।

प्रिय महोदय,

उपरोक्त की प्रतिलिपि आपके सूचनार्थ प्रेषित है।

ससदभाव्

भवदीय,

ह0/26.02.2000

(**श्रीराम अरूण**)

पुलिस महानिदेशक,
अपराध अनुसंधान विभाग/
प्रशिक्षण/तकनीकी सेवाएं, उ0प्र0।
समस्त अपर पुलिस महानिदेशक,
उ0प्र0।

अ0शा0 पत्र संख्या-डीजी-माप्र-(27)/99

श्रीराम अरूण,

पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश।
1-तिलक मार्ग, लखनऊ।
दिनाँक: लखनऊ: फरवरी 22, 2000

प्रिय महोदय/महोदया,

अवगत कराना है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नई दिल्ली द्वारा पुलिस प्रशासन एवं जन मानस के मध्य सम्बन्धों में और सुधार लाने एवं पारस्परिक विचारों के आदान-प्रदान के अनुरूप कार्यवाही किये जाने हेतु निम्नलिखित संस्तुति की गयी है तथा इसका तदनुसार अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने पर बल दिया गया है:-

> "The Superintendent of Polioce of the District may have periodic meetings, of a periodicty not less that at least once in alternate months, with the President of the District Bar Association , President of the local Rotary/Lions Clubs, representatives of at least two NGO,s in the District, the Chief Medical Officer of the District and the District Labour Officer and such others as the Superintendent of Police may consider appropriate, for an informal discussion on the public image of the Police in the District and for chalking out necessary remedial steps to improve police publice relations."

3- मा0 आयोग की अपेक्षा को ध्यान में रखते हुए आपसे अनुरोध है कि आप कृपया अपने जनपद में उपरोक्तानुसार गोष्ठियों का आयोजन सुनिश्चित करें तथा कृत कार्यवाही से इस मुख्यालय को भी बराबर अवगत कराते रहें।

ससदभाव्

भवदीय,
ह0/20.02.2000
(**श्रीराम अरूण**)

समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/
पुलिस अधीक्षक, प्रभारी जनपद, उ0प्र0।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को इस अनुरोध के साथ कि वे कृपया अपने परिक्षेत्र/जोन में इस आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित कराकर समीक्षा करते रहें:-

1- समस्त पुलिस उपमहानिरीक्षक, परिक्षेत्र, उ0प्र0।
2- समस्त जोनल पुलिस महानिरीक्षक, उ0प्र0।

(**श्रीराम अरूण**)

प्रतिलिपि: सूचनार्थ समस्त अपर पुलिस महानिदेशक/समस्त पुलिस महानिरीक्षक, उ0प्र0।

(**श्रीराम अरूण**)

प्रतिलिपि: संयुक्त सचिव, गृह(मानवाधिकार प्रकोष्ठ), उ0प्र0 शासन, लखनऊ को मा0 आयोग के पत्रांक-4/10/99-11-पीआरपी एण्ड पी, दिनांक 07.12.99 के संदर्भ में सूचनार्थ।

ह0/20.02.2000
(**श्रीराम अरूण**)
पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0।

अ0शा0 पत्र संख्या-डीजी-माप्र-(अपराध-2)/97

श्रीराम अरूण,

पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश।
1-तिलक मार्ग, लखनऊ।
दिनाँक: लखनऊ: फरवरी 29, 1997

प्रिय महोदय/महोदया,

कृपया मेरे परिपत्र संख्या-14/97, दिनांक 23.09.97 का सन्दर्भ ले जो मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा थानो पर गिरफ्तार व्यक्तियों के सम्बन्ध में कार्यवाही किये जाने विषयक है। इसी सम्बन्ध में मा0 राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा भी समय-समय पर निर्देश निर्गत किये गये हैं।

2- मा0 सर्वोच्च न्यायालय तथा मा0 राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के निर्देशों को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक थाने में मानवाधिकार संरक्षण के सम्बन्ध में एक बोर्ड लगाया जाना है। जनपद-गाजियाबाद में तैयार किये गये बोर्ड की छायाप्रति संलग्न है। प्रदेश के प्रत्येक थाने पर इसी प्रकार का बोर्ड लगाया जाय तथा इसी प्रकार कार्यवाही सुनिश्चित की जाय। इस बोर्ड की लम्बाई, चौड़ाई आदि निम्नवत होगी:-

लम्बाई-	6 फिट
चौड़ाई-	3 फिट
मोटाई-	3/4 इंच

3- उपरोक्तानुसार प्रति बोर्ड की अनुमानित लागत रू0 1150.00 होगी जिसका भुगतान नियमित बजट से किया जायेगा तथा यदि अतिरिक्त अनुदान की आवश्यकता हो तो उ.प्र. पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद से मांग की जाय।

4- अनुरोध है कि आप कृपया अपने जनपद/सेक्शन से प्रत्येक थाने के लिये इसी प्रकार बोर्ड बनवाकर 15 दिन में लगवाने का कष्ट करें तथा कृत कार्यवाही से इस मुख्यालय को अवगत करायें ताकि मा0 राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, को सूचित किया जा सके।

संलग्नक: यथोपरि।

ससदभाव्

भवदीय,
ह0/29.11.1997
(श्रीराम अरूण)

समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/
पुलिस अधीक्षक, प्रभारी जनपद, उ0प्र0।

समस्त पुलिस अधीक्षक, रेलवे,
उत्तर प्रदेश।

अ0शा0 पत्र संख्या-डीजी-माप्र-(18)/99

के0एल0 गुप्ता,

पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश।
1-तिलक मार्ग, लखनऊ।
दिनाँक: लखनऊ: अक्टूबर 05,1999

प्रिय महोदय,

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा कुछ प्रकरणों के परीक्षण से पाया गया है कि उत्तर प्रदेश पुलिस के अराजपत्रित अधिकारियों/कर्मचारियां द्वारा आपराधिक मामलों में प्रभावशाली व्यक्तियों के प्रभाव में आकर अपने पदों का दुरूपयोग किया गया है। यह स्थिति उचित नही है। इस प्रकार के प्रकरणों में आयोग द्वारा घोर आपत्ति की गई है।

2- अत: इस प्रकार की पुनरावृत्ति को रोकने हेतु अपने अधीनस्थ पुलिस कर्मियों को निर्देशित करें एवं भविष्य में भी समय-समय पर कर्मचारियों को संक्षिप्त में बताते रहें।

भवदीय,
ह0/01.10.1999
(के0एल0 गुप्ता)

समस्त ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक/
पुलिस अधीक्षक, प्रभारी जनपद, उ0प्र0।

समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस उपमहानिरीक्षक,
उत्तर प्रदेश।

समस्त पुलिस महानिरीक्षक, जोन,
उत्तर प्रदेश।

अ0शा0 पत्र संख्या-डीजी-माप्र-(39)/2002

आर0के0 पण्डित,

पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश।
1-तिलक मार्ग, लखनऊ।
दिनाँक: लखनऊ: जनवरी 15, 2002

प्रिय महोदय/महोदया,

पति की मृत्यु के उपरान्त महिलाओं के सम्बन्ध में विधवा आदि असम्मानजनक सूचक शब्दों का प्रयोग न किये जाने विषयक मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की ओर से शासनादेश संख्या-भा0स0-21/60-1-2001-1/13(87)2001, दिनांक 31.07.2001 समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष तथा अन्य को भेजा गया है।

2- इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नई दिल्ली ने यह निर्णय लिया है कि पति की मृत्यु के उपरान्त महिलाओं के लिए 'विडो', 'विधवा', 'वेवा', 'रॉड' शब्दों का प्रयोग विभिन्न अभिलेखो, जैसे राजस्व, शिक्षा, सेवायोजन व अन्य क्षेत्रों में किया जाना असम्मानजनक एवं दुर्भाग्यपूर्ण है तथा ये शब्द उनपर मनोबैज्ञानिक असर ड़ालते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने उक्त शब्दों के स्थान पर 'पत्नी स्वर्गीय', जौजे मरहूम', 'धर्मपत्नी स्वर्गीय' एवं 'वाइफ आफ लेट' आदि शब्दों का प्रयोग करने की संस्तुति की है।

3- अतएव आप सभी से अनुरोध है कि अपने अधीनस्थ समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों को भलीभांति निर्देशित करें कि समस्त शासकीय अभिलेखों एवं जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में 'विडो', 'विधवा', 'वेवा' एवं 'रॉड' शब्दों का प्रयोग न किया जाये और उनके स्थान पर उपयुक्त सम्मानजनक शब्द यथा 'पत्नी स्वर्गीय', जौजे मरहूम', 'धर्मपत्नी स्वर्गीय' एवं 'वाइफ आफ लेट' आदि शब्दों का प्रयोग किया जाय।

4- कृपया उक्त आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु समय-समय पर अपने स्तर से अभिलेखों आदि में निरीक्षण कर समीक्षा भी कर लिया जाना श्रेयस्कर होगा।

भवदीय,
ह0/15.01.2002
(**आर0के0 पण्डित**)

समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक,
प्रभारी जनपद, उ0प्र0/पुलिस अधीक्षक, रेलवे, उ0प्र0।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को भी अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु प्रेषित:-

1- समस्त पुलिस महानिदेशक,/अपर पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।
2- समस्त पुलिस महानिरीक्षक, जोन/रेलवे, उत्तर प्रदेश।
3- समस्त पुलिस उपमहानिरीक्षक, परिक्षेत्र/रेलवे, उत्तर प्रदेश।

प्रेषक,

हरिदास राव,
पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0,
लखनऊ।

सेवा में,

समस्त पुलिस महानिदेशक,/अपर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0।
समस्त पुलिस महानिरीक्षक, जोन्स उ0प्र0।
समस्त पुलिस उपमहानिरीक्षक, परिक्षेत्र, उ0प्र0।
समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उ0प्र0/प्रभारी।

पत्रांक :डीजी-मा0प्र0-2/91 दिनांकः लखनऊः मार्च 29, 1997

विषय :गिरफ्तारी के सम्बन्ध में रिट याचिका संया-539/06, डी0के0 बसु बनाम राज्य सरकार पश्चिम बंगाल निर्णीत दिनांक 18.12.96 में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गये दिशा-निर्देशों के अन्तर्गत कार्यवाही का सुनिश्चित किया जाना।

महोदय,

मा0 उच्चतम न्यायालय ने समय-समय पर अपने निर्णयों में गिरफ्तारी की प्रक्रिया के सम्बन्ध में आवश्यक दिशा-निर्देश एवं मार्गदर्शन दिये हैं। मा0 उच्चतम न्यायालय ने रिट याचिका (क्रि0) संख्या-539/86 डी0के0 बसु बनाम राज्य सरकार पश्चिमी बंगाल में दिनांक 18.12.96 को पारित अपने निर्णय में मार्गदर्शक निर्देश निर्धारित किया है, जो निम्नवत हैः-

1- पुलिसकर्मी जो गिरफ्तारी करते हैं तथा गिरफ्तार व्यक्ति से पूछतांछ करते है उन्हे शुद्ध, स्पष्टदर्शी एवं साफ पहचान की नाम पट्टिका धारण करना चाहिए। वर्दी के साथ उनके पद के बैच अवश्य हों। उन पुलिस कर्मियों का जो गिरफ्तार व्यक्ति से पूंछताछ करते हैं, विवरण एक रजिस्टर में अंकित किया जाना चाहिए।

2- व्यक्ति की गिरफ्तारी के समय पुलिस अधिकारी एवं फर्द(मेमो) तैयार करेगा, जिसे कम से कम एक व्यक्ति/गवाह द्वारा प्रमाणित किया जाय जो या तो अभियुक्त के परिवार का सदस्य हो अथवा उस क्षेत्र का सम्मानित व्यक्ति हो जहां पर गिरफ्तारी की गयी। इस फर्द पर अभियुक्त द्वारा भी प्रतिहस्ताक्षर कराया जायेगा तथा इस पर गिरफ्तारी का समय व दिनांक भी अंकित होना चाहिए।

3- जो व्यक्ति गिरफ्तार किया गया है अथवा निरूद्ध किया गया है या किसी थाने की अभिरक्षा में/पूंछताछ केन्द्र पर है या लॉकअप/हवालात में है, को यह अधिकार होगा कि उसके किसी मित्र/रिश्तेदार अथवा ऐसे व्यक्ति को जो उससे भलीभांति परिचित हो और उसका हितैसी हो, को जितना शीघ्र सम्भव हो साध्य-साधन से सूचना भेजी जायेगी और जिसमें यह स्पष्ट रूप से बताया जायेगा कि अमुक व्यक्ति गिरफ्तार किया गया है और अमुक स्थान पर निरूद्ध किया गया है। यह प्रतिबन्ध ऐसे मामलों पर लागू नही होगा, जिनमें गिरफ्तारी के मेमों पर गिरफ्तार किये गये व्यक्ति के मित्र अथवा उसके सम्बन्धी के हस्ताक्षर कराये गये हो।

शेष पृषठ-2 पर.....

4- यदि गिरफ्तार किये गये व्यक्ति के मित्र अथवा रिश्तेदार जिले या कस्बे के बाहर के रहने वाले हैं तो उन्हे जिले की ''लीगल एड आर्गेनाइजेशन' एवं सम्बन्धित थाने द्वारा वायरलैस/टेलीग्राफ के जरिये सूचना गिरफ्तारी का समय एवं स्थान अंकित करते हुए 8 से 12 घंटे के अन्दर अवश्य दे दी जायेगी।

5- जैसे ही कोई व्यक्ति गिरफ्तार होता है, पुलिस का यह दायित्व होगा कि वह उसे अपने इस अधिकार से अगवत करा दे कि वह अपनी गिरफ्तारी एवं अवरूद्धि के सम्बन्ध में किसी को सूचना दे सकता है।

6- किसी व्यक्ति को गिरफ्तारी के सम्बन्ध में निरूद्ध रखे जाने के स्थान पर डायरी में यह अंकित किया जाना जरूरी है कि गिरफ्तार व्यक्ति के किस मित्र/रिश्तेदार को गिरफ्तारी की सूचना दी गयी। उन पुलिस कर्मियों के नाम भी अंकित किये जाय, जिनकी अभिरक्षा में गिरफ्तार व्यक्ति को रखा गया है।

7- यदि गिरफ्तार व्यक्ति प्रार्थना करता है तो गिरफ्तार के समय उसके शरीर की प्रत्येक बड़ी एवं छोटी चोटों का निरीक्षण करके विवरण निरीक्षण मैमो पर अंकित किया जायेगा। इस निरीक्षण मेमो पर गिरफ्तार व्यक्ति तथा पुलिस अधिकारी दोनों के हस्ताक्षर कराये जांय तथा फर्द की एक प्रति गिरफ्तार व्यक्ति को भी दी जाय।

8- हर गिरफ्तार किये गये व्यक्ति की डाक्टरी परीक्षा उसकी निरूद्धि के हर 48 घंटे के अन्दर प्रशिक्षित डाक्टर द्वारा अवश्य करायी जाय, जो महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य द्वारा अनुमोदित पैनेल पर हो शासन से अनुरोध किया गया है कि यह महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य द्वारा प्रत्येक जिले व तहसील स्तर पर ऐसे प्रशिक्षित डाक्टर्स के पैनेल तैयार करा दें।

9- सभी अभिलेखों की प्रतियां गिरफ्तारी की फर्द सहित जैसा कि ऊपर संदर्भित किया गया है, क्षेत्र के मजिस्ट्रेट को उनके रिकार्ड के लिए भेजी जायेगी।

10- बन्दी बनाये गये व्यक्ति को पूछतांछ के मध्य अपने अधिवक्ता से मिलने अनुमति दी जा सकती है परन्तु ऐसी सुविधा सम्पूर्ण पूंछताछ के मध्य अनुमन्य नही होगी।

11- प्रत्येक राज्य मुख्यालय एवं जिले स्तर पर एक पुलिस कन्ट्रोल रूम बनाया जाये जहां प्रत्येक गिरफ्तार किये गये एवं अभिरक्षा में रखे जाने वाले व्यक्ति व स्थान की सूचना गिरफ्तार करने वाले अधिकारी द्वारा 12 घण्टे की अवधि के भीतर दी जायेगी। कन्ट्रोल रूम के बाहर एक नोटिस बोर्ड लगाया जायेगा, जिस पर सहज दृष्य यह सूचना स्पष्ट अंकित की जायेगी।

2- मा0 उच्चतम न्यायालय का यह महत्वपूर्ण निर्णय समस्त भारतवर्ष में प्रभावी है एवं साथ ही साथ यह विधिक व व्यवस्था का प्रमुख अंग भी है। अतः आप सबको निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त वर्णित व्यवस्थाओं को ध्यान में रखकर ही गिरफ्तारी की प्रक्रिया अपनायी जाये और सभी औपचारिकतायें अनिवार्य रूप से पूर्ण की जांय। मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा यह भी निर्देश दिये गये है कि यदि किसी

शेष पृष्ठ-3 पर....

पुलिस अधिकारी द्वारा उपरोक्त वर्णित प्राविधानों का अतिक्रमण किया जाता है तो उसके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही के साथ-साथ न्यायालय की अवमानना के लिए दण्डित भी किया जा सकता है। इस अवमानना की कार्यवाही के लिए प्रत्येक प्रदेश का उच्च न्यायालय सक्षम होगा।

3- उपरोक्त वर्णित निर्देश संविधान के अनुच्छेद-21 एवं 22(1) के क्रियान्वयन एवं अनुरक्षण हेतु प्रदान किये गये हैं और इनका अनुपालन सभी राजयकी इकाईयों के द्वारा अनिवार्य रूप से किया जायेगा।

4- मा0 उच्च न्यायालय के द्वारा दिये गये उपरोक्त दिशा-निर्देशों को प्रत्येक थाने के सहजदृष्य स्थान पर प्रदर्शित किया जायेगा ताकि जन साधारण इन दिशा-निर्देशों से अवगत हो सके।

5- अत: अनुरोध है कि मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा दी गयी व्यवस्था एवं दिशा-निर्देशों का अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु आप सभी अधीनस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों की एक विशेष मीटिंग आहूत कर उन्हे मा0 उच्चतम न्यायालय के निर्णय से पूर्ण रूपेण अवगत करा दें। सुलभ संदर्भ हेतु संदर्भित निर्णय के उद्धरण की छायाप्रति संलग्न की जा रही है।

संलग्नक: यथोपरि।

भवदीय,
ह0/29.03.1997
(हरिदास राव)
पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0।

प्रतिलिपि: प्रमुख सचिव(गृह), उ0प्र0 शासन, लखनऊ को सूचनार्थ एवं इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि निदेशक, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा को उपरोक्त निर्णय के बिन्दु संख्या-8 के संदर्भ में शासन स्तर से उचित दिशा-निर्देश जारी कराने का कष्ट करें। इसी के साथ-साथ यह भी अनुरोध है कि मा0 उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार दूरदर्शन/आकाशवाणी पर प्रसारित करायें एवं स्थानीय भाषा के हैण्डविल तैयार कराकर वितरित कराने के सम्बन्ध में भी कार्यवाही करने पर विचार कर लें।

भवदीय,
ह0/29.03.1997
(हरिदास राव)
पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0।

अ0शा0पत्रसं0:डीजी-मा0प्र0-(42)/2003

यशपाल सिंह
आई0पी0एस0

पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश।
1-तिलक मार्ग, लखनऊ।
दिनाँक: लखनऊ: मई 25 ,2005

प्रिय महोदय,

उ0प्र0 मानवाधिकार आयोग में गठित डी0के0 बसु केस उप समिति के अध्यक्ष श्री एस0एल0 आदर्श ने अपने पत्र संख्या-37(ब)/मा0अ0/04, दिनांक 03.09.04 द्वारा अवगत कराया है कि, ''आयोग की उप समिति को विभिन्न थानों के आकस्मिक निरीक्षण के दौरान अभियुक्तों की गिरफ्तारी के मैमो नही दिखाये गये, कारण यह बताया गया कि गिरफ्तारी के समस्त मेमो सम्बन्धित न्यायालयों को अभियुक्त पेश करते समय अन्य पत्राजात के साथ न्यायालय में प्रस्तुत कर दिये जाते हैं। यह स्पष्टीकरण सही प्रतीत नही होता है। मा0 उच्चतम न्यायालय ने डी0के0 बसू बनाम पश्चिम बंगाल राज्य केस में पारित अपने 11 निर्देशों में निर्देश संख्या-9 में निम्नलिखित निर्देश दिये हैं:-

"Copies of all the dacuments including the memo of arrest referrd to above should be sent the Ilaka magistrate for his record"

माननीय उप समिति अध्यक्ष ने अपेक्षा की है कि प्रान्त के सभी थानाध्यक्षों को निर्देशित किया जाय कि भविष्य में वह गिरफ्तारी मेमो की प्रतिलिपि ही इलाका मजिस्ट्रेट को भेजे।

अत: आपको निर्देशित किया जाता है कि माननीय उप समिति, उ0प्र0 मानव अधिकार आयोग द्वारा दिये गये उपर्युक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें।

भवदीय,

ह0/दि0 25.05.07
(**यशपाल सिंह**)

समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/
पुलिस अधीक्षक, प्रभारी जनपद, उ0प्र0।
समस्त पुलिस अधीक्षक, रेलवेज।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु प्रेषित:-

1. समस्त पुलिस महानिरीक्षक जोन/रेलवे, उ0प्र0।
2. समस्त पुलिस उप महानिरीक्षक परिक्षेत्र/रेलवे, उत्तर प्रदेश।

परिपत्र संख्या–डीजी–(01)/2005

यशपाल सिंह,
आई.पी.एस.

पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश।
1, तिलक मार्ग, लखनऊ।

दिनाँक: लखनऊ: जनवरी 04 ,2006

प्रिय महोदय,

मानवाधिकार संरक्षण एवं पुलिस अभिरक्षा में हुई मृत्यु की घटनाओं की प्रभावी रोकथाम के सम्बन्ध में समय-समय पर इस मुख्यालय द्वारा पार्श्व में अंकित परिपत्रों के माध्यम से निर्देश निर्गत किये जाते रहे हैं। इन निर्देशों के अनुपालन में उदासीनता के कुछ दृष्टांत मेरे संज्ञान में आये हैं। आप अवगत ही हैं कि मानवाधिकार हनन विशेष रूप से पुलिस अभिरक्षा में यातना/मृत्यु की शिकायतों से जहां एक ओर पुलिस विभाग की छवि धुमिल होती है वहीं दूसरी ओर पुलिस बल की कर्तत्यनिष्ठा एवं जनसेवा का रूप भी विकृत होता है। मानवाधिकारों की सुरक्षा में पुलिस की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ऐसी घटनाओं मे हमारे लिए यह आवश्यक हो जाता है कि हम इसे अत्यन्त गम्भीरता से लें तथा दोषी पुलिस कर्मियों के विरूद्ध विभागीय नियमों एवं वैधानिक प्रक्रिया के अंतर्गत कठोरतम कार्यवाही करें।

परिपत्र सं0–25/1992,	दिनांक	06.04.1992
,, –18/1995,	दिनांक	24.04.1995
,, –15/1997,	दिनांक	26.09.1997
,, –23/1999,	दिनांक	16.11.1999
,, –30/2000,	दिनांक	26.09.2000
,, –11/2003,	दिनांक	18.07.2003
,, –20/2005,	दिनांक	16.04.2005

2– उपरोक्त विषय में माननीय सर्वोच्च न्यायालय/उच्च न्यायालय, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा दिये गये दिशा–निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु मुख्यालय स्तर से समय–समय पर परिपत्र जारी किये गये हैं परन्तु ऐसा प्रतीत हो रहा है कि पुलिस अभिरक्षा में मृत्यु के प्रकरणों में अभी भी निर्देशानुसार सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा समुचित कार्यवाही नही की जा रही है। इस सम्बन्ध में प्रभावी कार्यवाही किये जाने की आवश्यकता है। अत: निम्नलिखित बिन्दुओं पर व्यक्तिगत रूप से ध्यान रखकर कार्यवाही कराया जाना नितांत आवश्यक है–

1– पुलिस अभिरक्षा में हुई मृत्यु की सूचना 24 घंटे के अन्दर मानवाधिकार आयोग को प्रेषित किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

2– पुलिस अभिरक्षा में घटित मृत्यु के सम्बन्ध में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा दिये गये निर्देशानुरूप मृतक का चिकित्सक द्वारा शव परीक्षण कराते समय उसकी वीडियों फिल्म तैयार करायी जाय तथा वीडियो फिल्म की कैसेट माननीय आयोग को भेजी जाय।

3– पुलिस अभिरक्षा मृत्यु के प्रकरणों में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा–176 के प्रावधानों के अनुरूप मजिस्टीरियल जांच का आदेश शीघ्र पारित कराया जाय तथा

शेष पृष्ठ–2 पर.....

मजिस्टीरियल जांच शीघ्र निस्तारण हेतु जनपदीय स्तर पर पुलिस अधीक्षक, जिला मजिस्ट्रेट से समन्वय स्थापित रखें। पुलिस अभिरक्षा के मृत्यु के प्रकरण में पंजीकृत किये गये अभियोगों की विवेचना सम्पूर्ण निष्ठा एवं निष्पक्षता से समयबद्ध तरीके से तीन माह के अन्दर पूर्ण कर ली जाय।

4- माननीय न्यायालय में आरोप पत्र प्राप्त हो जाने पर अभियोजन कार्यवाही में प्रभावी पैरवी की कार्यवाही सुनिश्चित करायी जाय।

5- पुलिस अभिरक्षा मृत्यु के प्रकरणों मे प्राप्त शिकायतों की मानीटरिंग प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित की जाय तथा यदि किसी प्रकरण में शिकायत की जांच प्रमाणित हो तो दोषी पुलिस कर्मियों के विरूद्ध त्वरित कार्यवाही की जाय। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा रिट संख्या-539/86, डी0के0 बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य में दिनांक 18.12.96 को अभियुक्तों की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में पारित दिशा-निर्देशों का अनुपालन किया जाय।

6- ऐसा देखा गया है कि पुलिस अभिरक्षा में हुई मृत्यु के सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षकों की प्रतिक्रिया भिन्न-भिन्न रहती है। कहीं कोई दोषी कर्मियों को लाइन हाजिर करता है तो कहीं कोई निलम्बित करता है और कहीं तो कोई कार्यवाही ही नही की जाती है। अतः इस सम्बन्ध में हर पुलिस अधीक्षक को निर्देशित किया जाता है कि ऐसी किसी भी घटना के होने पर तत्काल अभियोग पंजीकृत कराया जाय और सभी सम्बन्धित पुलिस कर्मियों को निलम्बित कर तैनाती के स्थान से दूर स्थानान्तरित कर दिया जाय।

कृपया उपरोक्त दिशा-निर्देशों का पूर्ण निष्पक्षता एवं कड़ाई से अनुपालन जनपदों के प्रभारी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक अपने व्यक्तिगत पर्यवेक्षण में सुनिश्चित करायेगें।

भवदीय,

ह0/दि0 04.01.06

(यशपाल सिंह)

समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक,
प्रभारी जनपद पुलिस/पुलिस अधीक्षक रेलवेज,
उ0प्र0।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु प्रेषितः-

1- अपर पुलिस महानिदेशक, रेलवे, उ0प्र0, लखनऊ।

2- समस्त पुलिस महानिरीक्षक, जोन, उत्तर प्रदेश।

3- समस्त पुलिस उपमहानिरीक्षक, परिक्षेत्र, उत्तर प्रदेश।

प्रेषक,

श्रीराम अरूण,
पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

1-समस्त अपर पुलिस महानिदेशक,
2-समस्त पुलिस महानिरीक्षक,
3-समस्त पुलिस उपमहानिरीक्षक,
4-समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक,
5-समस्त पुलिस अधीक्षक, जनपद प्रभारी,
6-समस्त सेनानायक, पी0ए0सी0
उत्तर प्रदेश।

पत्रांक :डीजी-परिपत्र-14/97, दिनांक: लखनऊ: सितम्बर 23, 1997

विषय :भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के अन्तर्गत दायर रिट याचिका (क्रिमिनल) संख्या-539/1986 डी0के0 बसु बनाम स्टेट आफ वेस्ट बंगाल रिट याचिक(क्रिमिनल) संख्या-592/1987 अशोक कुमार जौहरी बनाम उत्तर प्रदेश सरकार में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 10 दिसम्बर, 1996 पुलिस अभिरक्षा में लिये गये व्यक्तियों के साथ घटित होने वाली अपराधिक कृत्यों के निवारणार्थ माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक रिट याचिकाओं में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 10 दिसम्बर, 1996 को दिये गये निर्णय जिसकी प्रति न्यायालय के निर्देशानुसार आप लोगों को उपलब्ध करायी जा चुकी है और न्यायालय के निर्णय के पृष्ठ-29 से 31 के प्रस्तर 1 से 11 में सर्वोच्च न्यायालय ने पुलिस अभिरक्षा में लिये गये व्यक्तियों के प्रति होने वाले विभिन्न प्रकृति के अपराधों की पुनरावृत्ति रोकने एवम् पुलिस कार्यवाही में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से विधिक नियमों के तदनुसार संशोधित होने तक बन्दीकरण या निरूद्धि करने या पुलिस अभिरक्षा में लिये जाने सम्बन्धी सभी मामलों में उक्त कार्यवाही का कार्यान्वयन करने वाले समस्त पुलिस कर्मियों से कतिपय निवारक उपायों का अनुपालन करने की अपेक्षा करते हुए उनके अनुपालन में चूक करने वाले पुलिस कर्मियों के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही करके दण्डित करने के आदेश देने के साथ ही साथ ऐसे सभी मामलों में चूक करने वाले पुलिस कर्मियों को न्यायालय के आदेश की अवहेलना करने का दोषी मानते हुए उनके विरूद्ध भारत के किसी भी सक्षम अधिकारिता का क्षेत्र वाले उच्च न्यायालय के आदेश की अवहेलना करने से सम्बन्धित वाद चलाये जाने की अनुमति भी प्रदान की है। इस सम्बन्ध में मेरे पूर्वाधिकारी द्वारा परिपत्र संख्या-7/97, दिनांक 29 मार्च, 1997 द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायलय के मार्गदर्शक निर्देशों को आप लोगों को निम्न दिशा-निर्देशों के

शेष पृष्ठ-2 पर....

अन्तर्गत कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने हेतु भेजा गया है। उक्त के सन्दर्भ में आप लोगों को निम्नवत पुनः निर्देशित किया जा रहा है:-

(1) उन सभी पुलिस कर्मियों को, जो बन्दीकरण और बन्दी से पूछतांछ की कार्यवाही का निष्पादन करते हैं, यह स्पष्टकर दिया जाय कि भविष्य में वे ऐसी कार्यवाही का निष्पादन करते समय अपनी पहचान का विवरण जिसमें उनके पदनाम सहित सही नाम भी अंकित हो को इस प्रकार धारण करें जिससे कि वह स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर हो सके।

(2) बन्दी से पूछतांछ करने की कार्यवाही निष्पादित करने वाले पुलिसकर्मी का विवरण भी एक रजिस्टर में अंकित किया जाय।

(3) बन्दी के बन्दीकरण की कार्यवाही निष्पादित करने वाले प्रत्येक पुलिस कार्मिक को अब ऐसी कार्यवाही करने के समय एक बन्दीकरण मेमो(मेमो आफ अरेस्ट) भी तैयार करना होगा तथा उस पर कम से कम एक साक्षी, जो या तो बन्दी बनाये गये व्यक्ति के परिवार का सदस्य या उस क्षेत्र का जहां से बन्दीकरण की कार्यवाही सम्पन्न की गयी हो, का कोई सम्भ्रान्त व्यक्ति हो, से प्रमाणित कराने के साथ ही साथ उसे बन्दी से भी उसके बन्दी बनाए जाने की तिथि व समय अंकित करते हुए, प्रति हस्ताक्षरित कराया जायगा।

(4) प्रत्येक उस पुलिस कार्मिक का जो बन्दीकरण की कार्यवाही का निष्पादन करेगें यह दायित्व होगा कि वह उस व्यक्ति विशेष को जिसका बन्दीकरण किया जाना अपेक्षित है, यथाशीघ्र, जैसे ही उसे बन्दी बनाया जाय, यह अवगत करा दें कि उसे अपनी गिरफ्तारी या निरूद्ध किए जाने की सूचना जिसे वह सूचित करना चाहे, भिजवाने का अधिकार प्राप्त है। तदनुसार, यदि सम्बन्धित पुलिस कार्मिक द्वारा तैयार किये गये प्रस्तर-3 में उल्लिखित मेमों आफ अरेस्ट को प्रमाणित करने वाला साक्षी स्वयं बन्दी का ऐसा मित्र या रिश्तेदार न हो तो बन्दी बनाकर या निरूद्व करके किसी पुलिस थाने या पूछतांछ केन्द या अन्य किसी लाक-अप में अभिरक्षा में रखे जा रहे व्यक्ति की सूचनानुसार, उसके बन्दीकरण की सूचना, कि अमुक व्यक्ति अमुक स्थान पर बन्दी बनाकर अभिरक्षा में रखा जा रहा है, उसके किसी एक मित्र या रिश्तेदार या किसी अन्य व्यक्ति को जिसे बन्दी स्वयं जानता हो अथवा किसी ऐसे व्यक्ति को जिसे बन्दी की कुशल-क्षेम जानने में रूचि हो, दी जाय।

(5) जहां बन्दी का अगला मित्र या रिश्तेदार, जिसे बन्दी द्वारा सूचना भिजवाया जाना अपेक्षित हो, जनपद या कस्बे के बाहर रहता हो, वहां बन्दी के बन्दीकरण के समय, स्थान जहां से उसके बन्दी बनाया गया हो, और उस स्थान की सूचना जहां उसे बन्दी

शेष पृष्ठ-3 पर...

बनाने के उपरान्त अभिरक्षा में रखा जा रहा है, की सूचना पुलिस द्वारा व्यक्ति विशेष के बन्दीकरण के 8 से 12 घण्टे के भीतर उस जनपद विशेष में कार्यरत ''लीगल एड आरगेनाजेशन'' तथा सम्बन्धित पुलिस थाने को जहां बन्दी का ऐसा अगला मित्र या रिश्तेदार रहता है, तार द्वारा एक अधिसूचना के माध्यम से प्रकाशनार्थ भेजी जायेगी।

(6) निरूद्ध रखे जाने वाले स्थान पर, एक डायरी में बन्दी बनाये गये व्यक्ति की गिरफ्तारी के विषय में आवश्यक विवरण का उल्लेख रखा जायगा तथा उसमें इस तथ्य का भी उल्लेख किया जायगा कि बन्दी बनाये व्यक्ति के किस मित्र को उसके बन्दी बनाये जाने की सूचना की गयी तथा बन्दी को किन पुलिस कार्मिको की अभिरक्षा में रखा गया है।

(7) बन्दीकरण के समय, यदि बन्दी द्वारा यह अनुरोध किया जाय कि उसके शरीर का निरीक्षण कर लिया जाय तो बन्दी के ऐसा अनुरोध करने पर बन्दी बनाए गये व्यक्ति के शरीर का निरीक्षण करते हुए बन्दीकरण के ही समय एक निरीक्षण मेमो सम्बन्धित पुलिस कार्मिक द्वारा तैयार किया जाएगा तथा उसमें उसके/उसका शरीर पर पाए गये समस्त लघु एवं बृहद चोटों को लिपिबद्व करते हुए उसे बन्दी एवं बन्दीकरण की कार्यवाही सम्पन्न करने वाले दोनो द्वारा हस्ताक्षरित किया जायगा और तैयार किए गए निरीक्षण मेमों की एक प्रति बन्दी को भी उपलब्ध करा दी जाय।

8) अभिरक्षा में निरूद्ध की अवधि के दौरान बन्दी बनाया गया व्यक्ति राज्य के निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं द्वारा प्रत्येक तहसील एवं जनपद के लिए नियुक्त एवं अनुमोदित किए गए डाक्टरों के पैनेल के एक प्रशिक्षित डाक्टर के चिकित्सा परीक्षण के अधीन रहेगा जो बन्दी के स्वास्थ्य का परीक्षण प्रत्येक 48 घंटे में करेगा।

(9) बन्दीकरण से सम्बन्धित समस्त कागजातों, जिसमें ऊपर उल्लिखित ''मेमों आफ अरेस्ट'' की प्रति भी सम्मिलित रहेगी, की प्रतियां सम्बन्धित इलाका प्रखण्ड मजिस्ट्रेट को रिकार्ड हेतु भेजी जायेगी।

(10) बन्दी को पूछतांछ के दौरान यद्यपि अपने वकील से मिलने की अनुमति दी जायेगी तथापि यह अनुमति पूछतांछ के पूरे समय के लिए नही होगी।

(11) प्रत्येक जनपद एवं राज्य के मुख्यालय पर एक पुलिस कण्ट्रोल रूम की स्थापना की जाय तथा उसे बन्दी के बन्दीकरण तथा उसके अभिरक्षा में रखे जाने वाले स्थान की सूचना, 12 घंटे के भीतर, बन्दीकरण की कार्यवाही सम्पन्न करने वाले पुलिस कार्मिक द्वारा उपलब्ध कराई जायगी। पुलिस कण्ट्रोल रूम इस प्रकार प्राप्त सूचना को जनसाधारण के सूचनार्थ एक नोटिस बोर्ड पर चस्पा करेगी।

शेष पृष्ठ-4 पर...

आपसे अनुरोध है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के संदर्भ में निर्गत उक्त निर्देशों का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित कराने के साथ-साथ सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार निरूद्ध व्यक्तियों की सूचना संकलित कराने की व्यवस्था करें तथा इन निर्देशों के अनुपालन में चूक करने वाले कर्मियों के विरूद्ध तत्काल विभागीय कार्यवाही कर उन्हे दण्डित भी करें। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दी गयी व्यवस्था एवम् दिशा-निर्देशों में चूक किये जाने पर जनपद प्रभारी पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे।

ह0/दि0 23.09.97
(श्रीराम अरूण)

प्रतिलिपि: समस्त पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 को कृपया सूचनार्थ प्रेषित।

प्रेषक,

के0एल0 गुप्ता,
अपर पुलिस महानिदेशक अपराध,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

समस्त पुलिस उपमहानिरीक्षक परिक्षेत्र,
उत्तर प्रदेश।

सन्दर्भ :डीजी-माप्र-(2)/97 दिनांक: लखनऊ: सितम्बर 11, 1997

विषय :भारत के संविधान के अनुछेद 32 के अन्तर्गत दायर रिट पिटीशन संख्या-539 वर्ष-1986 डी0के0 बसु बनाम स्टेट आफ वेस्ट बंगाल व रिट पिटीशन संख्या-592 वर्ष 1987 अशोक कुमार जौहरी उच्चतम न्यायालय के निर्णय दिनांक 18, दिसम्बर, 1996 में पुलिस अभिरक्षा में लिए गये व्यक्तियों के साथ घटित होने वाले अपराधिक कृत्यों के निवाराणार्थ माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट याचिका संख्या-4201/97 में पारित निर्णय के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक रिट पिटीशन में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिनांक 18 दिसम्बर, 1996 को दिये गये निर्णय जिसकी प्रतिलिपि पुलिस महानिदेशक के परिपत्र संख्या-7/97 के साथ दिनांक 29 मार्च 1997 को माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के मार्गदर्शक निदेर्शों लगायत 1 से 11 संलग्नकर भेजा गया था और यह अपेक्षा की गयी थी कि दिशा-निर्देशों को प्रत्येक थाने के सहज दृश्य स्थानों पर प्रदर्शित किया जाय ताकि जन साधारण इन दिशा-निर्देशों से अगवत हो सकें। यह भी अपेक्षा की गयी थी कि उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गये गिरफ्तारी की प्रक्रिया से सम्बन्धित का अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु आप अपने अधीनस्थ अधिकारियों को पूर्णरूप से अवगत करा देंगे।

दिनांक 22.04.1997 को पत्रांक डीजी-माप्र-2/97 के माध्यम से विशेष कार्याधिकारी द्वारा अनुपालन आख्या की अपेक्षा की गयी थी लेकिन अभी तक सभी परिक्षेत्रों से अनुपालन आख्या इस मुख्यालय को उपलब्ध नही करायी गयी है। माननीय उच्चतम न्यायालय में इसी प्रकरण पर प्रकीर्ण याचिका नं0-4201/1997 दायर की गयी है। जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिनांक 01.08.1997 को यह आदेशित किया गया है कि पुलिस महानिदेशक गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों से सम्बन्धित जो दिशा-निर्देश दिये गये थे उनसे सम्बन्धित अनुपालन आख्या रिपोर्ट सारणीबद्ध रूप में उपलब्ध करायें और दिनांक 18.12.96 को पारित आदेश में दिये गये निर्देशों में किन निर्देशों का पालन किया जा रहा है और किस रूप में पालन किया जा रहा है तथा किन अपेक्षाओं का पालन किया जाना शेष है और उस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी है।

शेष पृष्ठ-2 पर....

इस मुख्यालय द्वारा दिनांक 29 मार्च 1997 को भेजे गये निर्देशों जिसमें 11 बिन्दु दर्शाये गये थे कि प्रतिलिपि सुलभ संदर्भ हेतु संलग्न है उनमें से प्रत्येक बिन्दुओं के सम्बन्ध में न्यायालय द्वारा वांछित सूचना सारणीबद्ध के रूप में दिनांक 13.09.97 को प्रत्येक दशा में इस मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। न्यायालय के निर्देशों की प्रति भी आवश्यक कार्यवाही एवं अवलोकनार्थ सुलभ संदर्भ हेतु संलग्न की जा रही है। उपरोक्त सूचना निर्धारित समय तक उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें। यदि सूचना समय से उपलब्ध नहीं करायी जाती है तो आप उसके लिये व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होगें।

संलग्नक: यथोपरि।

ह0/दि0 11.09.1997

(के0एल0 गुप्ता)

प्रतिलिपि: समस्त पुलिस महानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश को सूचनार्थ एवं अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु।

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0, 1, तिलक मार्ग, लखनऊ।

संख्याः डीजी-माप्र-(38)/2001 दिनॉकः लखनऊः दिसम्बर 20 ,2001

सेवा में,

1-समस्त पुलिस महानिदेशक/अपर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0।
2-समस्त पुलिस महानिरीक्षक, जोन/रेलवे, उ0प्र0।
3-समस्त पुलिस उपमहानिरीक्षक, परिक्षेत्र/रेलवे, उ0प्र0।
4-समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उ0प्र0।
5-समस्त पुलिस अधीक्षक, रेलवे, उ0प्र0।

विषय :माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा डी0के0 बसु के केस में निर्णीत दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु गठित मानीटरिंग कमेटी को सहयोग प्रदान किया जाना।

प्रिय महोदय,

मानवाधिकार हनन सम्बन्धी प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या-539/86 डी0के0 बसु बनाम राज्य सरकार पश्चिम बंगाल के निर्णय में 11 बिन्दुओं पर दिशा-निर्देश दिये गये थे। इन दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए मेरे पूर्वाधिकारी द्वारा परिपत्र संख्या-7/97, दिनांक 29.03.97 के माध्यम से आप सभी को विस्तृत निर्देश दिये गये थे। इन निर्देशों का पालन समस्त थानाध्यक्षों द्वारा कराया जा रहा होगा।

2- माननीय उच्चतम न्यायालय ने उक्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराने के लिए एक मानीटरिंग समिति का गठन करने हेतु माननीय उच्च न्यायालय, उत्तर प्रदेश को दिनांक 19.10.2001 को आदेशित किया है। इस आदेश के अनुपालन में माननीय मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय, उ0प्र0 ने एक समिति गठित कर दी है। समिति के अध्यक्ष न्यायाधीश श्री अचल बिहारी श्रीवास्तव हैं तथा अन्य भूतपूर्व जनपद न्यायाधीश श्री ए0बी0 हजेला एवं श्री मोहि-उल-इस्लाम इस समिति के माननीय सदस्य हैं।

3- इस समिति ने यह सूचित किया है कि निकट भविष्य में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सन्दर्भित निर्णय में निहित सभी बिन्दुओं का पालन समुचित रूप से किया जा रहा है या नही यह देखने के लिए जनपदों का आकस्मिक निरीक्षण करेगी। अतएव समिति द्वारा इस प्रकार निरीक्षण प्रारम्भ करने के पूर्व ही आपके स्तर से यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के इन निर्देशों का सम्यक रूप से पालन किया जा रहा है। निरीक्षण के समय यदि समिति द्वारा यह पाया जाता है कि इन निर्देशों का पालन सही प्रकार से नही हो रहा है तो समिति इसे गम्भीरता से लेगी तथा ऐसी परिस्थितियों में आपका उत्तरदायित्व निर्धारित किया जायेगा।

शेष पृष्ठ-2 पर..

4- आपको यह विशेष रूप से निर्देशित किया जा रहा है कि आपके जनपद में इस मानीटरिंग समिति के अध्यक्ष व सदस्य निरीक्षण हेतु जब भी आगमन करते है तो उनको पूर्णत: सहयोग प्रदान करें एवं तदनुसार अपने अधीनस्थ अधिकारियों एवं कर्मचारियों को भलीभांति निर्देशित करें।

भवदीय,

ह0/दि0 20.12.2001
(आर0के0 पण्डित)
पुलिस महानिदेशक,